

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2020/00037 (37/2020) 223 आरटीएक्ट

1. दलवीर सिंह } पिसरान हरीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व
2. बनवारी } जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. हुक्मराम } पिसरान दुनीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व
2. मदनलाल } जिला हनुमानगढ़।
3. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखानौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

—रेस्पोजेण्ट



(2) अपील संख्या 2020/00046 (46/2020) 223 आरटीएक्ट

1. दलवीर सिंह } पिसरान हरीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व
2. बनवारी } जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. हुक्मराम } पिसरान दुनीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व
2. मदनलाल } जिला हनुमानगढ़।
3. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

—रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 27.02.2020 व डिक्री दिनांक 28.02.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़। प्रकरण संख्या 77/2014 बअनवानी हुक्मराम बनाम बलवीर आदि

Law
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



श्री देवीलाल भाम्भू अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक रेस्पों सं० 1 व 2
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:- 13.6.2022

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन हेतु दावा पेश किया जिसमें चक नं. 1 एनडीआर (सीएडी) रहित में वर्णित कुल तादादी 4.213 है० किया होना बताते हुए मुताबिक वादपत्र की चरण संख्या 5 क एवं ख में वर्णितानुसार कब्जा काशत दर्शाया एवं प. नं. 153/360 किला नं. 2 में उत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ तरफ किला नं. 9 में पूर्व से पश्चिम उत्तरी सींव पर 2-2 बिस्वा रास्ता चालू बताया जाकर मंजूर किये जाने का अनुतोष मांगा। अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं 1 व 2 ने काउण्टर क्लेम पेश किया किला नं. 1 के पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन पर 1 बिस्वा रास्ता चालू होना बताया जाकर मंजूर किये जाने की इस्तदुआ की। विचारण न्यायालय ने तहसील दार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय प्रारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने दो अपीलें पेश की जो समेकित की गई। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक पृथक रखी जावे।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.08.2021 को अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेण्ट सं० 1 व 2 ने राजीनामा पेश किया जो तस्दीक किया गया एवं शामिल मिसल किया गया। रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 प्रबन्धक स्टेट बैंक की तलबी जरिये रजिस्टर्ड करवाई गई उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. उभयपक्ष के मध्य चूंकि राजीनामा हो गया है एवं उभयपक्ष लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हैं। अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.02.2020 व डिक्री दिनांक 28.02.2020 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रथम पक्ष दलवीर सिंह, बनवारी लाल पिसरान हरीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर के चक नं. 14 एनडीआर



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

(सीएडी) रहित खाता संख्या 34/24 प. नं. 153/359 (24) किला नं. 24/1/.165 है0, 25/.253 है0, प. नं. 153/360 (28) किला नं. 1/.240 है0 2 ता 5 की 1.012 है0, किला नं. 6 ता 8 प्रत्येक .228 प्रत्येक में उत्तरी तरफ, 9/.240 उत्तरी तरफ 10/.227 पूर्वी तरफ कुल 2.821 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। द्वितीय पक्ष रेस्पोजेण्ट संख्या 1 व 2 हुक्माराम, मदनलाल पिसरान दुनीराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर की 14 एनडीआर (सीएडी) रहित खाता संख्या 34/24 प. नं. 153/360 (28) किला नं. 11 ता 15 प्रत्येक में 0.253 है0, 1 में .006 है0 रास्ता उत्तरी पश्चिमी तरफ तथा .007 है0 खातेदारी दक्षिणी पश्चिमी तरफ, किला नं. 6 ता 8 प्रत्येक में .025 प्रत्येक में दक्षिण तरफ, 9/.013 है0 दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व किला नं. 10/.026 है0 मुर्ब्बा लाईन के साथ साथ पश्चिमी तरफ किला नं. कुल 1.392 है0 मय रास्ता खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



13/6/22
 (कारतार सिंह पुनिया आरएस)
 राजस्व अपील प्राधिकारी
 हनुमानगढ़